# सामान्य दिशा–निर्देश

1. आवेदन शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं।
2. दिशा निर्देश दिनांक 15.10.2024 के अनुसार नर्सिंग एनओसी संबंधित समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन कर दी गई है, अतः आवेदन राज एनओसी पोर्टल (rajnoc.rajasthan.gov.in) पर ऑनलाईन किये जाने हैं।
3. विभाग द्वारा ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगें। केवल विज्ञप्ति में वर्णितानुसार ऑनलाईन किये गये आवेदन की प्रति (चैकलिस्ट अनुसार परिशिष्ट–वार दस्तावेज पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए, शपथ पत्र एवं मूल चालान आदि बंद लिफाफे में, जिस पर राज एनओसी पोर्टल द्वारा जनरेट आवेदन संख्या अंकित करते हुए) स्पीड पोस्ट से **संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, कमरा नं. 4203, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, सी–स्कीम, जयपुर–302005** को प्रेषित किए जावेंगे।
4. आवेदक संस्था को एनओसी हेतु वांछित समस्त मापदण्ड आवेदन की अंतिम तिथि तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
5. समस्त आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व आईएनसी गाईडलाईन का वेबसाईट www.indiannursingcouncil.org.in पर, विभागीय दिशा निर्देश दिनांक 15.10.2024 का वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in एवं rajnoc.rajasthan.gov.in पोर्टल पर आवेदन संबंधित सामान्य दिशा–निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लेवें।
6. पूर्व की विज्ञप्तियों में प्राप्त समस्त आवेदन, जो लम्बित हैं, विभागीय दिशा–निर्देश दिनांक 15.10.2024 के अनुसार निरस्त हो गये हैं। विज्ञप्ति वर्ष 2022 के ऐसे आवेदनकर्ताओं को नवीन विज्ञप्ति में ऑनलाईन आवेदन करने पर पूर्व में जमा आवेदन शुल्क का समायोजन वैध दस्तावेज (आवेदन शुल्क के चालान की प्रति) प्रस्तुत किये जाने पर किया जावेगा।
7. विभागीय नीति दिनांक 07.06.2022 के पश्चात जिन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा निरीक्षण करवाए जाने के आदेश प्रदान किए गए हैं, ऐसे आवेदनकर्ताओं को भी नवीन विज्ञप्ति में ऑनलाईन आवेदन करना होगा। नवीन विज्ञप्ति में ऑनलाईन आवेदन करने पर पूर्व में जमा आवेदन शुल्क का समायोजन वैध दस्तावेज (आवेदन शुल्क के चालान, रिट एवं न्यायालय आदेश की प्रति) प्रस्तुत किये जाने पर किया जावेगा।
8. आवेदन हेतु आवेदन शुल्क पोर्टल पर ही जमा करवाया जाना है। आवेदन शुल्क Non-Refundable है।
9. प्रति कोर्स आवेदन शुल्क रूपये 20,000/– जमा करवाना होगा। एक ही आवेदन में एक से अधिक कोर्स हेतु आवेदन करने पर प्रत्येक कोर्स का अलग–अलग आवेदन शुल्क जमा करवाना होगा। जमा शुल्क का चालान आवेदन के साथ ऑनलाईन अपलोड करना आवश्यक होगा।
10. आवेदन के साथ किसी भी प्रकार की अपूर्ण जानकारी अथवा मिथ्या जानकारी प्रस्तुत किये जाने पर संस्था के आवेदन पर पडने वाले विपरीत प्रभाव के लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

---